

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेरवाड़ा

—:: आदेश ::—

नम्बर मुकदमा :- 02/2019

दिनांक 12.06.2019

उनवान मुकदमा :- धारा 128 एल.आर.एक्ट पत्थर गढी करने बाबत।

वास्ते :- तहसीलदार खेरवाडा

श्रीमती मनीषा देवी पत्नी खेमराज भील बनाम तहसीलदार खेरवाडा

उपरोक्त विचाराधीन प्रकरण में वादी तथा प्रतिवादी को सुना गया। वादी द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 128 के तहत ग्राम पलसीया पटवार मण्डल बायडी के जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या नया 98 पुराना 179 के आराजी नम्बर 1111, 1112, 1385/1109 रकबा क्रमशः 0.0400, 0.0600, 0.0700 हैक्टर की पत्थरगढी कराना चाहता है। आपको निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रेकॉर्ड अनुसार संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी से उक्त खसरा नम्बर की पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रार्थी से पत्थरगढी की शुल्क नियमानुसार जमा करावें।



(राजीव द्विवेदी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा